HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8217/2026
CNR: RJHC010584282026
URN: CRLMB / 17829U / 2026

Anwar Khan @ Anna S/o Jusab Khan, Aged About 40 Years, Khetasar Dantal, P.s - Falsund, Dist. Jaisalmer.
(Lodged In Sub Jail, Pokaran)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shabaz Khan Mr. MD Riyaz
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **फलसूण्ड, जिला जैसलमेर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **18/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 117(2) 109(1), 190, 191(2), 324(4), 324(6) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में आहत सोढेखां द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी इकबाल की होना और इकबाल द्वारा गाड़ी चलाकर उसकी मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारने से उसका गिर जाना तथा इकबाल व उसके साथियों द्वारा मारपीट करना बताया है। अन्य व्यक्तियों को आहत ने नामजद नहीं किया है और अभियोजन की ओर से जो अन्य गवाहान के बयान लिये उन्होंने भी प्रार्थी/अभियुक्त को नामजद नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है। इकबाल के अलावा अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय

लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में सहअभियुक्त मोहम्मद समीर उर्फ बाबु खान व गनी खान की जमानत दिनांक 13.05.2026 को, अरबाज खान की जमानत दिनांक 15.06.2026 को इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है। इस मामले में आहत सोढेखां के बयान का अवलोकन किया जिसमें केवल मात्र इकबाल को ही नामजद किया है, प्रार्थी/अभियुक्त अनवर खां उर्फ अन्ना को नामजद नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला पूर्व में जिन व्यक्तियों की जमानत हुई है उनसे अधिक गंभीर नहीं है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **अनवर खां उर्फ अन्ना पुत्र जुसब खां** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

83/SN Lohra/336